भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1798
(02 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कों का विकास

1798. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सड़कें विकसित करने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना बनाई है और वित्त पोषण के स्वरूप पर कोई निर्णय लिया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): ग्रामीण सड़क संपर्क ग्रामीण विकास का एक प्रमुख घटक है जिसमें आर्थिक और सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाता है और इससे कृषि आमदनी बढ़ी है तथा लाभकारी रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। इससे स्थायी गरीबी उपशमन सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है। ग्रामीण सड़क संपर्कता के उपर्युक्त महत्व को स्वीकारते हुए सरकार ने ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से कोर नेटवर्क में मौजूद निर्दिष्ट आबादी आकार (मैदानी क्षेत्रों में 500+ तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरूभूमि तथा जनजातीय क्षेत्रों में 250+) आबादी की सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्कता मुहैया कराने वाली एकबारगी विशेष पहल के रूप में दिसंबर, 2000 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की।

सरकार ने बाद में इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) तथा पीएमजीएसवाई-।। नामक नई पहलों/आयामों की शुरूआत की। पीएमजीएसवाई-।, ।। और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत कुल 693838 किमी. लंबाई के सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है तथा 27 जून, 2019 तक 6,00,984 किमी. लंबाई की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

यह योजना शत-प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। तथापि, वर्ष 2015-16 से केंद्र और राज्यों के बीच पीएमजीएसवाई की वित्तपोषण पद्धति को बदल कर 60:40 कर दिया गया था। इन राज्यों में पूर्वोत्तर एवं तीन हिमालयी राज्य (जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) शामिल नहीं हैं जहां यह वित्तपोषण पद्धति 90:10 के आधार पर है।